(समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

दूरभाष स. 0294.2421255, 2420013, **Helpline no.** 0294.2426262 वेबसाइट- **www.udaipurmc.org**

क्रमांकः– राजस्व/रोड फर्नीचर/24–25/256 दिनांकः– 23/9/2024

ई–निविदा सूचना संख्या –03/24–25

नगर निगम, उदयपुर द्वारा इच्छुक एवं पात्र बिडर्स से नगर निगम सीमान्तर्गत 21 गेन्ट्री, 9 साईनेज, 1 बैकलिस्ट टावर तथा 2 यूरीनल पर विज्ञापन लगाने का कार्य करने हेतु MOT आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए तथा 2 गेन्ट्री पर विज्ञापन लगाने का कार्य करने हेतु BOT आधार पर 5 वर्ष की अवधि हेतु (बीड प्रपत्र में उल्लखेत साईट अनुसार) आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की प्रारम्भ तिथि 26-9-24 अन्तिम तिथि 07-10-24 तथा खोलने की तिथि 08-10-24 है। विस्तृत विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम की वेबसाइट www.udaipurmc.org पर उपलब्ध है।

UBN ⇒ UNP2425A0096

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, परिसर शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त ई–निविदा सूचना का प्रकाशन एक क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका अथवा दैनिक भास्कर के उदयपुर संस्करण मे तथा एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये तथा प्रति ई–मेल आई.डी revenuesec2015@gmail.com पर प्रेषित करवायें।
2. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत को प्रेषित कर लेख है कि निगम वेबसाइट पर उक्त निविदा अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय नगर निगम, उदयपुर।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

Scanned by Scanner Go

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष रा. 0294.2421255, 2420013, Helpline no. 0294.2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांकः– राजस्व / रोड फर्नीचर / 24–25 / 256 दिनांकः– 23/9/2024

ई–निविदा सूचना संख्या 03 / 24–25

नगर निगम उदयपुर द्वारा इच्छुक एवं पात्र बिडर्स से नगर निगम सीमान्तर्गत 21 गेन्ट्री, 9 साईनेज, 1 बैकलिस्ट टावर तथा 2 यूरीनल पर विज्ञापन लगाने का कार्य करने हेतु MOT आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए तथा 2 गेन्ट्री पर विज्ञापन लगाने का कार्य करने हेतु BOT आधार पर 5 वर्ष की अवधि हेतु (बीड प्रपत्र में उल्लखेत साईट अनुसार) आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की प्रारम्भ तिथि 26-9-24 अन्तिम तिथि 07-10-24 तथा खोलने की तिथि 08-10-24 है। विस्तृत विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम की वेबसाइट www.udaipurmc.org पर उपलब्ध है।

1. संगठन का नाम :– नगर निगम, उदयपुर
2. विभाग :– स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
3. कार्य का नाम :– नगर निगम सीमान्तर्गत अनुज्ञा शुल्क पर 21 गेन्ट्री, 9 साईनेज, 1 बैकलिस्ट टावर, 2 यूरीनल MOT आधार पर 5 वर्ष तथा 2 गेन्ट्री BOT आधार पर 5 वर्ष हेतु विज्ञापन लगाने का कार्य
4. रोड फर्नीचर की सूची :–

TYPES OF ROAD FURNITURE 2024-25

क्र.सं.	नगर निगम सीमान्तर्गत रोड फर्नीचर विज्ञापन अनुज्ञा हेतु स्थान	कुल साईट
	Zone No.1 - सूरजपोल से प्रतापनगर अनुमानित राशि – 15,35,520 /–	
1	Surajpole outside Fateh School (**GANTRY**)	8
2	Flyover kumaro ka bhatta (Towards Raghumahal Hotel) (BOT BASIS) (**GANTRY**)	
3	Flyover kumaro ka bhatta (Towards Fisheries College) (BOT BASIS) (**GANTRY**)	
4	Sevashram flyover gantry (Towards Sevashram Circle) (**GANTRY**)	
5	Sevashram flyover (Towards Nehru Hostel) (**GANTRY**)	
6	Outside of Pratapnagar police thana(**GANTRY**)	
7	Udaipur to Tekri road (**SIGNAGE**)	
8	Front of Fateh school (**SIGNAGE**)	

Scanned by Scanner Go

Zone No.2 - सूरजपोल से गोवर्धन विलास

अनुमानित राशि – 9,60,325/–

	Udaipole in front of Yatri hotel (GANTRY)	5
2	Outside udaipur Railway Station (GANTRY)	
3	Paras Circle (GANTRY)	
4	Outside of BJP office (SIGNAGE)	
5	Surajpole to Udiapole Road (URINALS)	

Zone No.3 - सूरजपोल से देहलीगेट, देहलीगेट से कोर्ट सर्कल, कोर्ट सर्कल से चेतक सर्कल व चेतक सर्कल से फतहसागर

अनुमानित राशि – 21,12,715/–

1	Chetak circle in front of Petrol Pump (GANTRY)	11
2	Chetak circlre in front of Mohta park (GANTRY)	
3	Delhi gate in front of Kalyan Jewellers (GANTRY)	
4	Delhi gate in front of A to Z Medical Shop (GANTRY)	
5	Surajpole in front of Ashoka Cineme (GANTRY)	
6	In front of Alankar jewellers, Court circle (GANTRY)	
7	Court circle Outside RNT medical collage (GANTRY)	
8	Shiksha bhawan to Daityamangri (Towards) (GANTRY)	
9	Daityamangri Mera Park (Towards) (GANTRY)	
10	Towards Hospital at Island chetak circle (SIGNAGE)	
11	Near Bank tiraha delhigate (URINALS)	

Zone No.4 - सूरजपोल से देहलीगेट, देहलीगेट से कोर्ट सर्कल, कोर्ट सर्कल से सुखाडिया सर्कल व सुखाडिया सर्कल से फतहपुरा

अनुमानित राशि – 21,12,715/–

1	Fatehpura circle (GANTRY)	11
2	Pulla bridge outside govt. school (GANTRY)	
3	Shastri circle in front of Post office (GANTRY)	
4	Panchwati (GANTRY)	
5	Panchwati bridge in front of Hero Honda Showroom (GANTRY)	
6	On fatehpura circle (SIGNAGE)	
7	Court circle (SIGNAGE)	
8	Near Excise Commissioner house (SIGNAGE)	
9	Hero honda circle central circle (SIGNAGE)	
10	In front of RSMM (SIGNAGE)	
11	Sukhadia circle Tourist help centre (BACKLIT TOWER)	

Scanned by Scanner Go

5. सलंग्न सूची अनुसार राशि

..न नम्बर	कुल साईट	न्यूनतम आरक्षित दर	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र शुल्क 1000+18% GST	प्रोसेसिंग शुल्क (M.D. R.I.S.L. Jaipur)
जोन 1	8	15,35,520/– रूपये	30730/–रूपये	1180/– रूपये	500/–रूपये
जोन 2	5	9,60,325/– रूपये	19207/–रूपये	1180/– रूपये	500/–रूपये
जोन 3	11	21,12,715/– रूपये	42254/–रूपये	1180/– रूपये	500/–रूपये
जोन 4	11	21,12,715/– रूपये	42254/–रूपये	1180/– रूपये	500/–रूपये

6. समयावधि :– MOT आधार पर 5 वर्ष एवं BOT आधार पर 5 वर्ष
7. निविदा का प्रकार :– Single Stage two envelop open rate Contract
8. निविदादाता की राष्ट्रीयता :– भारतीय
9. निविदा हेतु मुद्रा :– Indian National Rupees
10. कार्य का विस्तृत विवरण :– संलग्न
11. निविदा की वैद्यता अवधि :– निविदा खुलने की दिनांक से 90 दिवस

नोट :– निविदादाता को जोन 1, 2, 3 एवं 4 की राशि निविदा में पृथक–पृथक से अंकित करनी होगी तथा सभी जोन की धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क पृथक–पृथक से जमा करानी अनिवार्य होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क, ण ध्बोली प्रतिभूति व प्रोसेसिंग शुल्क की राशि निर्धारित दिनांक व समय तक निगम की वेबसाईट http://www.udaipurmc.org.in पर E tender में जाकर online जमा कराकर प्राप्ति रसीद या घोषणा पत्र www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराये जाने वाले दस्तावेजों के साथ अपलोड करनी होगी। online राशि जमा नही कराने पर निविदा प्रपत्र शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के तथा निविदा प्रक्रिया शुल्क का डी.डी./बी.सी. MDRISL जयपुर के पक्ष में भौतिक रुप से निर्धारित दिनांक व समय तक जमा कराना आवश्यक होगा। ये डिमाण्ड ड्राफ्ट बिडर के खाते से बने होने चाहिए।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

F:\priyanka\REVENUE\2023-24\vinod ji sir\E-NividaRoad Furniture24-25

Scanned by Scanner Go

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर
दुरभाष स. 0294.2421255, 2420013, Helpline no. 0294.2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांकः– राजस्व / रोड फर्नीचर / 24–25 / 256 दिनांकः– 23/9/2024

महत्वपूर्ण तिथियांः–

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1.	Sppp portal पर प्रकाशन		
2.	E procurment Portal पर प्रकाशन	26-9-24	—
3.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि	26-9-24	—
4.	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	07-10-24	—
5.	तकनिकी बिड खोलने की तिथि	08-10-24	2:00 बजे बाद
6.	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	—	—
7.	भौतिक रुप से निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा प्रक्रिया शुल्क व बोली प्रतिभूति जमा कराने की अन्तिम तिथि	08-10-24	01:00 बजे तक दोपहर

नोटः–

1. निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वो यथाशीघ्र अपनी निविदा eproc portal पर प्रस्तुत कर दे वेबसाइट पर होने वाली किसी भी असुविधा से बचने के लिये यह सलाह दी गई है अतः वेबसाइट पर यदि कोई असुविधा होती है तो नगर निगम जिम्मेदार नही है तथा इस आधार पर तिथियों में कोई संशोधन नही किया जाएगा।
2. उक्त बिन्दु संख्या 7 में अंकित तिथि व समय के पश्चात् प्रस्तुत निविदा प्रपत्र शुल्क निविदा प्रक्रिया शुल्क व बोली प्रतिभूति के डी.डी. स्वीकार नही किये जायेगे।
3. तकनीकी बीड एवं वित्तिय बीड पात्रता की शर्तेः–

   यह निविदा Single Stage two Envelope system से आमंत्रित की जा रही हैं अतः तकनीकी निविदा में पात्र पाए जाने वाले निविदाकारों को ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैः–

   1. निविदा प्रपत्र शुल्क जमा होने की रसीद या आयुक्त नगर निगम के पक्ष मे डी.डी.।
   2. MDRISL, Jaipur के पक्ष में प्रोसेसिंग फीस जमा कराना।
   3. बोली प्रतिभूति की राशि जमा होने की रसीद या आयुक्त नगर निगम के पक्ष मे डी. डी.।
   4. बिडर को विज्ञापन व्यवसाय में होना आवश्यक हैं। इसकी पुष्टि हेतु विज्ञापन कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
   5. जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना।
   6. आधार कार्ड (एकल फर्म होने पर स्वयं का भागीदार होने पर समस्त भागीदारों का तथा कम्पनी या रजिस्टर्ड संस्था होने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
   7. 100/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न प्रारुप में अपलोड करना।

Scanned by Scanner Go

8. निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने की सहमति स्वरुप निविदा का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षर कर अपलोड करना। कार्य की शर्तें निविदा के साथ संलग्न हैं निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लेंवे।
9. हस्ताक्षरित ANNEXURE A, ANNEXURE B, ANNEXURE C, ANNEXURE D सलंग्न करना अनिवार्य होगा।

4. तकनिकी बिड में अर्हता प्राप्त (Responsive) बिडर्स की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। अतः तकनिकी बिड में चाही गई समस्त पूर्तियां बिडर्स को करनी आवश्यक है। तकनिकी बिड में चाही गई समस्त पूर्तियां नही करने वाले बिडर्स को अप्रत्युत्तरदायी (Non Responsive) घोषित कर दिया जाएगा तथा ऐसे बिडर्स की वित्तीय बिड नही खोली जाएगी।

5. <u>ई–टेन्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश</u> :
1. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट **www.eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड (Download) कर सकते है।
2. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आएगा।
3. निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
4. निविदादाओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
5. ऑनलाईन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जाएगी।
6. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र में संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच अपलोड कर दी गई है।
7. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकी जमा कराने में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
8. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
9. निविदा सूचना इंटरनेट साईट <u>www.udaipurmc.org</u> पर भी उपलब्ध है।
10. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

Scanned by Scanner Go

11. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृत हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

12. निविदा की विधिमान्याता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समायावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूमि समपहृत नहीं की जायेगी।

13. निविदादाता के नजदीकी रिश्तेदार (पुत्र/पुत्री/पति/पत्नि) के नगर निगम में सेवारत होने पर निविदा में भाग लेने में प्रतिबंध रहेगा।

14. इस निविदा के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो उसे वेबसाईट **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर प्रकाशित किया जावेगा जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

15. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सूचना गलत पाई गई तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

16. फर्म में निगम की पूर्व की राशि बकाया होने पर वह व्यक्ति फर्म नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।

17. लोकसभा/विधानसभा तथा अन्य किसी भी प्रकार के चुनाव जो चुनाव आयोग द्वारा संचालित होते है, ऐसे चुनावों के संबध में किसी भी प्रकार के स्थान पर पार्टी या उम्मीदवार के बैनर, रोड फर्नीचर, कट आउट इत्यादि लगाने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी व नगर निगम, उदयपुर कार्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।

18. नगर निगम जनहित मे तथा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विभाग की योजना कार्यक्रम संबंधित फ्लेक्स/बैनर सीमित समय के लिए लगाने की स्वीकृति दे सकेगा।

19. कोई भी साईट शिफ्ट नहीं होगी। यदि अति आवश्यक हुआ तो निगम की स्वीकृति के पश्चात ही शिफ्ट होगी। (मौके से 100 मीटर के भीतर–भीतर)।

20. साईट्स नक्शे/लिस्ट में दर्शाए स्थल या पूर्व से स्थापित स्थान पर ही लगानी होगी। (चिन्हित स्थानों पर) अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर उस साईट की पुनः निविदा की जायेगी।

नगर निगम, उदयपुर सीमान्तर्गत अनुज्ञा शुल्क पर रोड फर्नीचर पर विज्ञापन लगाने के कार्य की शर्तेः–

1. बिड की अवधि MOT एवं BOT आधार पर 5 वर्ष होगी। बिडर को प्रथम वर्ष की राशि उद्धत करनी होगी। तकनिकी बिड में अर्हता प्राप्त अधिकतम दर देने वाले बिडर की बिड स्वीकृत की जाएगी। दर बिना जी.एस.टी. अर्थात् नगर निगम में जमा

Scanned by Scanner Go

कराये जाने वाली राशि की उद्धत की जानी है। जी.एस.टी. पृथक से बिडर द्वारा ही वहन किया जाकर जमा कराया जाएगा। (शर्त संख्या 31 देखे)

2. दर स्वीकृति पत्र जारी करने के पन्द्रह दिवस में प्रथम वर्ष की राशि, कार्य संपादन प्रतिभूति राशि एकमुश्त जमा कराकर सफल बिडर के व्यय पर करार निष्पादित करना होगा। यह कार्यवाही निर्धारित अवधि में नही करने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जाएगी तथा ऐसे बिडर को अधिकतम तीन वर्षों तक के लिये निगम की निविदाओं में भाग लेने से विवर्जित (डिबार) किया जायेगा।
3. नगर निगम को निविदादाता की स्वीकृत निविदा की कुल राशि जिसकी गणना 5 वर्ष के आधार पर की जाकर 10 प्रतिशत अनुबन्ध सम्पादन के पूर्व परफोमेन्स गारन्टी देनी होगी जो आयुक्त नगर निगम के पक्ष में होगी (समस्त कार्यो की कुल)।
4. प्रथम वर्ष की अनुज्ञा अवधि का प्रारम्भ करार निष्पादन की तिथि के 15 दिवस बाद से प्रारम्भ होगा। उदाहरणार्थ यदि करार निष्पादन 31 अगस्त 2024 को सम्पन्न होता है तो प्रथम वर्ष की अनुज्ञा अवधि 5 वर्ष के लिए दिनांक 16 सितम्बर 2024 से 15 सितम्बर 2029 तक के लिये होगी।
5. रोड फ़र्नीचर नगर निगम के द्वारा निर्मित है तथा नगर निगम के स्वामित्व के रहेंगे।
6. अनुज्ञा का एक वर्ष पूरा होने पर द्वितीय वर्ष की अनुज्ञा राशि में पूर्व की अनुज्ञा राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी तथा इसके बाद आगामी वर्ष की अनुज्ञा राशि भी नियमानुसार 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व अग्रिम जमा करानी होगी।
7. निर्धारित तिथि तक राशि जमा नही कराने पर नगर निगम को पूर्ण अधिकार होंगे कि कार्य संपादन प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि को जब्त करते हुये नई निविदा की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दे तथा संवेदक को उसके द्वारा लगाए गए विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी कर दे। यदि संवेदक द्वारा इन विज्ञापन को आदेश जारी होने के एक सप्ताह में नही हटाए जाते है तो निगम द्वारा अपने स्तर पर ये विज्ञापन हटवा दिये जायेंगे जिसके हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी भी संवेदक की होगी। इसी प्रकार अनुज्ञा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् साईट पर स्वतः ही नगर निगम, उदयपुर का प्राधिकार माना जाएगा तथा लगे हुये विज्ञापन पट्ट को अन्य किसी अतिक्रमण की भांति निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं जब्त किया जा सकेगा।
8. किसी भी असामान्य परिस्थिति यथा लोकडाउन, कर्फ्यू या आपदा जिसमें आमजन का आवागमन प्रतिबंधित हो जाता है तो इसके आधार पर समयावधि में विस्तार सामान्यतया नही किया जाएगा किन्तु विशिष्ठ रुप से इस प्रकार की अवधि यदि पूरे वर्ष में 30 दिवस से अधिक हो जाती है तो 30 से अधिक अतिरिक्त दिवसों के लिए अवधि का विस्तार करने पर विचार किया जा सकेगा जो माननीय महापौर महोदय, आयुक्त नगर निगम द्वारा निर्मित समिति के विवेकाधीन होगा अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरुप कार्यवाही की जाएगी।

Scanned by Scanner Go

9. सफल बिडर की बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन कार्य संपादन प्रतिभूति के साथ किया जा सकेगा।
10. रोड फर्नीचर की साईज रोड फर्नीचर की सूची व मौके पर लगे स्ट्रक्चर अनुसार होगी।
11. विज्ञापन विद्युत चलित कम्प्यूटराईज नही लगाये जा सकेंगे।
12. रोड फर्नीचर पर विज्ञापन सडक/डिवाईडर की सतह से न्यूनतम 10 फीट ऊँचा होगा।
13. निविदा में सम्मिलित यूरिनल का रख रखाव संवेदक को जरिये सुलभ इंटरनेशनल करवाना होगा तथा इसके लिये लगने वाली लागत संवेदक को स्वयं वहन करनी होगी। सुलभ इन्टरनेशनल को रख रखाव की राशि प्रति माह संवेदक द्वारा समय पर सुलभ इन्टरनेशनल को भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रति माह लगने वाली राशि की गणना सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा तय की जावेंगी।
14. एक पोल पर एक विज्ञापन फ्लेक्स लगाया जा सकेगा। संवेदक (अनुज्ञाधारी) रोड फर्नीचर को साफ–सुथरा रखेगा एवं रोड फर्नीचर पर किसी प्रकार का कोई वर्जित विज्ञापन नहीं करेगा ना ही कोई झंडे बैनर छोटे बोर्ड, प्लास्टिक बोर्ड लगाये जावेंगे यदि कोई पोस्टर, झण्डे, बैनर, प्लास्टिक बोर्ड, छोटे बोर्ड, पतंगे आदि लगा जाये तो सवेदक को तुरन्त हटवाने होंगे।
15. विज्ञापन लगाते या उतारते समय व संवेदक अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई घटना–दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
16. विज्ञापन संवेदक को स्वयं के खर्चे पर लगाने होगे तथा संवेदक की सम्पत्ति होगी एवं विज्ञापन हेतु फ्लेक्स पर एकरूपता से लगाने होंगे जिससे बाहर की सुन्दरता बनी रहें। लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर 15 दिवस में विज्ञापन हटाने होंगे अन्यथा नगर निगम द्वारा अपने स्तर से हटाये जाएगें एवं हटाने का खर्चा लाईसेंसी की अमानत में से वसूला जावेगा।
17. निविदा प्रपत्र शुल्क प्रोसेसिंग फीस का रिफण्ड क्लेम नही किया जावेगा।
18. सशर्ते निविदा मान्य नही होगी।
19. परफोमेन्स गारन्टी निम्न में से किसी एक प्रारूप में प्रस्तुत की जा सकेगी एवं उक्त परफोमेन्स गारन्टी की अवधि 5 वर्ष 3 माह होगी :–
    i. किसी अनुसूचित बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक
    ii. राष्ट्रीय बचत पत्र
    iii. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी
    iv. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (FDR)
20. जिस व्यक्ति के नाम बिड स्वीकृत होगी उसको नगर निगम द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किया जायेगा जो कि अहस्तांतरणीय होगा।

Scanned by Scanner Go

21. समय–समय पर नगर निगम व राज्य सरकार द्वारा देय जारी आदेशों–निर्देशो की पालना करानी होगी।

22. शर्तो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। वित्तीय शर्ते यथावत रहेगी। अनुज्ञा "नगर निगम, उदयपुर विज्ञापन उपविधियां (संशोधित) 2010" के प्रावधानों के अधीन होगी। अनुज्ञाधारी को इन उपविधियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

23. रोड फर्नीचर अन्तर्गत मौके पर लगी गेन्ट्री पर एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

24. अनुज्ञापत्र के संबध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।

25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अडचन/कारण के रोड फर्नीचर हटाना पडे तो ऐसा लाईसेंसधारी को स्वंय के खर्चे पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से रोड फर्नीचर हटाने अथवा हटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम, उदयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड नहीं किया जायेगा।

26. अश्लील या आपत्तिजनक चित्र व केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित वस्तु जैसे धुम्रपान संबंधी विज्ञापन, प्रतिबन्धित विज्ञापन का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा, इसकी अवहेलना करने पर उसे नगर निगम द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया जायेगा एवं हर्जे–खर्चे सम्बन्धित अनुज्ञाधारी से वसूल किया जावेगा।

27. प्रदर्शित विज्ञापनो में महिला अशिष्टरूपण अधिनियम की पूर्णतया पालना की जावेगी।

28. निविदा स्वीकार करने या नही करने, निविदा तिथि स्थगित करने, आगे बढाने या पुनः निविदा आमंत्रित करने का समस्त अधिकार नगर निगम, उदयपुर प्रशासन मे निहित होंगे।

29. किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति में आयुक्त एवं महापौर महोदय द्वारा निर्मित समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी जो फर्म को स्वीकार्य होगी।

30. नगर निगम द्वारा समय–समय पर लगे हुए रोड फर्नीचर पर विज्ञापन की जांच की जावेगी। यदि किसी प्रकार की कमी अथवा निगम की शर्तो का उल्लंघन पाया गया तो अनुज्ञा निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

31. राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का विज्ञापन/विज्ञापनदाता/निविदादाता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर यथा सेवाकर, GST आयकर या कोई अन्य कर लागू होता है या लगाया जाता है तो वह निविदादाता को ही वहन करना होगा। नगर निगम कोई जिम्मेदारी नही होगी। बिडर को निविदा अनुसार राशियां निगम में जमा करानी होगी जीएसटी की राशि रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के तहत जमा कराकर चालान की प्रति प्रतिवर्ष निगम में जमा करानी होगी।

Scanned by Scanner Go

32. उदयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से उक्त डिस्पले का निगम स्पेशिफीकेशन के अनुसार करना होगा एवं उसी के अनुरूप इनका संधारण (रख–रखाव) किया जावेगा।

33. निविदादाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक रोड फर्नीचर पर अपनी फर्म का नाम एंव विज्ञापन पट्ट साईट नम्बर, डिस्पले पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी।

34. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह रोड फर्नीचर पर विज्ञापन को मजबूती से स्थापित करे व समय–समय पर आवश्यक मरम्मत करें ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में रोड फर्नीचर नीचे नही गिरे। रोड फर्नीचर की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा एवं रोड फर्नीचर पर विज्ञापन लगाने के दौरान अनुज्ञाधारी को विद्युत से लगने वाले करन्ट या अन्य क्षति के संबंध में समस्त सुरक्षात्मक उपाय स्वयं करने होंगे तथा विद्युत/करन्ट आदि से होने वाली घटना/दुर्घटना की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की स्वयं की होगी। स्वीकृत साईट पर अन्य किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम, उदयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

35. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी को स्वीकृत रोड फर्नीचर व फ्लेक्स मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घन्टे के अन्दर नियमानुसार खडा/सही करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।

36. इच्छुक व्यक्ति निविदा से पूर्व साईट स्थलों का स्वयं भौतिक सत्यापन एवं शर्तो का अवलोकन कर लेवें अन्यथा निगम को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

37. सभी रोड फर्नीचर सही हालात में रखना होगा एवं साईट पर फर्म का नाम एवं साईट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

38. प्रत्येक रोड फर्नीचर पर प्रतिवर्ष कलर व रखरखाव अनुज्ञाधारी को करवाना होगा।

39. अधिक जानकारी वेबसाईट www.udaipurmc.org या www.sppp.raj.nic.in पर या कार्य दिवस के दौरान राजस्व शाखा नगर निगम, उदयपुर से प्राप्त की जा सकती है।

40. बिडदाता को वर्ष में 15 दिन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, व नगर निगम की जनहित योजनाओं, सूचनाओं एवं नगर निगम के दशहरा, दीपावली मेला, या अन्य किसी सार्वजनिक कार्य हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराने होंगे जो कि सक्षम स्तर से आदेशित होंगे।

41. जिन बिन्दुओ के सम्बन्ध में निविदा में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है उस हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजथान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 लागु होंगें।

42. <u>बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि</u> :–(Period Of Validity Of Bids) 90 (नब्बे) दिन बोली लगाने वाले से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध

Scanned by Scanner Go

किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति FORFEIT नहीं की जा सकती। (नियम/शर्त संख्या 45)

43. विलम्ब से प्राप्त बोलियां :– बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।

44. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।

45. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति (Bid Security) निम्नलिखित मामलों में जब्त (ForFiet) कर दी जाएगी, अर्थात् :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

46. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

47. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थातः–

(1) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के आवसान पर।

(2) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।

Scanned by Scanner Go

(3) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर या

(4) बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय – सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

48. **करार का निष्पादन :–**

(1) कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संदिदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्य कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

49. **बोलियों को मुहरबंद करना और चिन्हित करना :–**

(1) बोली लगाने वाले उनकी बोलियों को डाक द्वारा या दस्ती प्रस्तुत कर सकेगें

(2) बोली की मूल और प्रत्येक प्रति डाक द्वारा या दस्ती सम्यक रुप से चिन्हित लिफाफे यथा ''मूल'' और ''प्रति'' पृथक मुहरबंद लिफाफों में परिवेष्टित की जायेगी। तब मूल और प्रतियों से युक्त लिफाफे एक एकल लिफाफे में परिवेष्टित किये जायेगें।

(3) आंतरिक और बाह्य लिफाफे पर :–

(क) बोली लगाने वाले का नाम और पूर्ण पता और दूरभाष/मोबाइल नम्बर होगा।

(ख) उपापन संस्था का पूर्ण पता और दूरभाष नम्बर यदि कोई हो,

(ग) बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के अनुसरण में बोली प्रक्रिया की विनिर्दिष्ट पहचान और बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कोई अतिरिक्त

Scanned by Scanner Go

पहचान चिह्न होगा और,

(घ) बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के अनुसरण में बोली खोलने के लिए समय और तारीख से पूर्व नहीं खोलने की चेतावनी होगी,

(4) यदि समस्त लिफाफे यथा–अपेक्षित मुहरबंद और चिन्हित नहीं किये गये है तो उपापन संस्था इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी।

50. The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rules1971.

Correction of arithmetical errors

(i) Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(ii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

(iii) If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

50. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

Scanned by Scanner Go

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods,
Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner
Municipal corporation Udaipur

Scanned by Scanner Go

Annexure 'B'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Designation:

Address:

Signature of bidder

Name :

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner
Municipal corporation Udaipur

Scanned by Scanner Go

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Director, local Self Govt. Jaipur (Raj.)

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretry, Local Self Govt. Jaipur (Raj.)

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only vby a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

Scanned by Scanner Go

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder with Stan

Commissioner,
Municipal corporation Udaipur

Scanned by Scanner Go

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(i)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....

....

....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:..

....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Scanned by Scanner Go

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. How- ever, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner,
Municipal corporation Udaipur

Scanned by Scanner Go

शपथ –पत्र

(100/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/मैसर्स...निवासी..........................
....शपथ पूर्वक निवेदन करता हूं कि नगर निगम, उदयपुर द्वारा जारी ई–निविदा सूचना संख्या..................दिनांक...................कार्य का नाम नगर निगम सीमान्तर्गत अनुज्ञा शुल्क पर रोड फर्नीचर पर विज्ञापन फ्लेक्स लगाने का कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में भाग ले रहा हूँ तथा शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि:–

1. मेरे द्वारा निविदा में अंकित समस्त शर्तों की पालना आवश्यक रुप से की जावेगी।
2. मेरे द्वारा जो भी सूचनाएं अपलोड़ की गई है वह वे पूर्णतया सही एवं सत्य है। यदि यह असत्य पायी गयी तो नगर निगम, उदयपुर अपने विवेका अनुसार जो भी कार्यवाही करेगा वो मुझे स्वीकार है।
3. निविदा की समस्त शर्तें मेरे द्वारा पढ़/समझ ली गई है तथा इन समस्त शर्तों को मैं स्वीकार करता हूँ।
4. मुझे/मेरी फर्म को किसी भी राजकीय निगम/विभाग/बोर्ड द्वारा दोषी मानकर काली सूची में नही डाला गया है तथा न ही निविदा में भाग लेने से डिबार किया गया है।
5. मैंने/मेरी फर्म ने क्षेत्र का सर्वे कर रोड फर्नीचर की संख्या/लोकेशन/सूची/साईज के आंकलन के पश्चात् ही निविदा में दरें उद्धत की है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता
मय सील

Scanned by Scanner Go